>

Title: Need to extend insurance cover to all adult members in the family under Aam Admi Bima Yojana and Janashree Bima Yojana and also make expeditious disposal of insurance claims under the schemes.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): मैं सरकार का ध्यान भूमिहीन खेतिहर ग्रामीण मजदूरों की "आम आदमी बीमा योजना" तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी एवं ग्रामीण मजदूरों के लिए संचालित "जनश्री बीमा योजना" की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त दोनों बीमा योजनाओं में बीमित सदस्य, परिवार का मुखिया होता है जिसकी सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु होने पर बीमित राशि का भुगतान किया जाता है।

इस संबंध में मेरा अनुरोध यह है कि जनश्री बीमा योजना व आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत केवल मुखिया ही नहीं, परिवार को इकाई माना जाना चाहिए तथा परिवार के ऐसे समस्त सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है एवं जो परिवार के भरण पोषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं उन्हें भी उक्त योजनाओं के अंतर्गत बीमा संरक्षित किया जाना चाहिए। उनके साथ ही साथ इन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बीमा क्लेम का निराकरण संभाग स्तर पर होने के कारण भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसके लिए भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि संभाग स्तर के बजाय इस प्रकार के बीमा क्लेमों का निराकरण संबंधित जिला स्तर पर शाखा प्रबंधक के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होकर हितग्राही को त्वरित सहायता मिल सके।